

## स्पीडपोस्ट

प्रेषक,

मण्डलायुक्त,  
गोरखपुर।

सेवा में

संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन,  
शिक्षा अनुभाग—7,  
लखनऊ।

संख्या:

/सत्ताईस-43(2008-09)

दिनांक 15 जनवरी, 2010

विषय:

प्रदेश स्थित माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को कौसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इकजामिनेशन, नई दिल्ली/सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 05.12.2009 में लिये गये निर्णय की सूचना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 1916 / 15-7-09-1(299) / 2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 के प्रस्तर – 5 द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 11.01.2010 को सम्पन्न हुई, जिसमें गीता इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, रविन्द्र नगर, कुशीनगर को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने पर विचार विमर्श किया गया।

शासनादेश संख्या: 2762 / 15-13-91-41461 / 91 दिनांक 30 नवम्बर, 1991 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं निर्धारित बिन्दुओं पर उप जिलाधिकारी, पड़रौना, कुशीनगर से विद्यालय की जांच करायी गयी। जांच के आधार पर मण्डलीय समिति द्वारा गीता इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, रविन्द्र नगर, कुशीनगर को कौसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इकजामिनेशन, नई दिल्ली/सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में सहर्ष सहमति प्रदान कर दी गयी है। मण्डलीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,

/(  
(पी०के०महान्ति)  
मण्डलायुक्त।

प्रदेश स्थित माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को कौसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इकजामिनेशन, नई दिल्ली/सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में शिक्षा अनुभाग-7 द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1916/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 द्वारा मण्डलायुक्त की अध्यक्षता गठित समिति की बैठक दिनांक 11.01.2010 का कार्यवृत्त -

शासनादेश संख्या: 1916/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 के प्रस्तर-5. के अनुक्रम में गठित मण्डलीय समिति की उपर्युक्त विषयक बैठक दिनांक 11.01.2010 को आहूत की गयी, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये -

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. मण्डलायुक्त, गोरखपुर                        | अध्यक्ष।    |
| 2. प्रभारी जिलाधिकारी, कुशीनगर।                | सदस्य।      |
| 3. संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल, गोरखपुर | सदस्य सचिव। |
| 4. जिला विद्यालय निरीक्षक, कुशीनगर।            | सदस्य।      |

गोरखपुर मण्डल के जनपद कुशीनगर में स्थित शिक्षण संस्था गीता इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, रविन्द्र नगर को काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इकजामिनेशन, नई दिल्ली/सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के प्रस्ताव जांचोपरान्त मण्डलीय समिति को प्राप्त हुआ है।

शासनादेश संख्या: 2762/15-13-91-41461/91 दिनांक 30 नवम्बर, 1991 में निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रारूप पर अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु उपर्युक्त विद्यालय द्वारा संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल, गोरखपुर को दिनांक 24.06.2009 को आवेदन किया गया है, जिस पर मण्डलीय समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श किया गया।

विद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 24.06.2009 पर संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल, गोरखपुर ने जांचोपरान्त अपने पत्र संख्या आश०/2925-29/2009-10 दिनांक 29.08.2009 द्वारा विद्यालय के प्रबन्धक से विद्यालय भूमि की खतौनी एवं विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों के वेतन भुगतान हेत बैंक पासबुक आदि का विवरण मांगा गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रबन्धक ने अपने पत्र संख्या प्र०/125/गी०इ०प० स०/2009-10 दिनांक 11 दिसम्बर, 2009 से अवगत कराया है कि उप जिलाधिकारी, पड़रौना ने विद्यालय के नाम अंकित भूमि के सम्बन्ध में विस्तृत जांच करके जांच आख्या आयुक्त कार्यालय को प्रेषित की गयी है। विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों को विद्यालय द्वारा अपने संशाधनों से नकद वेतन भुगतान किया जा रहा है।

शासनादेश संख्या: 1916/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 के प्रस्तर-5 के अनुसार गठित मण्डलीय समिति को इस विद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु विचार किया गया।

मण्डलीय समिति को उपर्युक्त विद्यालय के पत्रजात/अभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त मण्डलायुक्त कार्यालय, गौरखपुर के पत्र संख्या 121/सत्ताईस-43(2008-09) दिनांक 05 अक्टूबर, 2009, पत्र संख्या 738/सत्ताईस-43(2008-09) दिनांक 29 अक्टूबर, 2009 एवं पत्र संख्या 1041/सत्ताईस-43(2008-09) दिनांक 13 नवम्बर, 2009 द्वारा जिलाधिकारी, कुशीनगर से निम्नांकित बिन्दुओं पर जांच उप जिलाधिकारी, पड़रौना से कराकर जांच आख्या प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये —


1. विद्यालय स्थापित किये जाने की क्षेत्रीय आवश्यकता एवं शहरी क्षेत्र में 2 किलोमीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र में 5 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित विद्यालयों के नाम तथा इस विद्यालय के स्थापित होने से उन पर पड़ने वाले प्रभाव का संक्षिप्त विवरण।
2. सोसाइटी/ट्रस्ट का पंजीकरण।
3. शिक्षक/कर्मचारियों की संख्या एवं उनकी अर्हता।
4. वेतन तथा सेवा शर्तें।
5. भूमि एवं भवन की स्थिति (भू-चित्र एवं नजरी नक्शा सहित)
6. प्रयोगशाला/पुस्तकाल तथा अन्य शिक्षण सामग्री।
7. क्रीड़ास्थल की उपलब्धता एवं उसका क्षेत्रफल।


जिलाधिकारी, कुशीनगर ने उपर्युक्त बिन्दुओं पर उप जिलाधिकारी, पड़रौना से जांच करायी है। उप जिलाधिकारी पड़रौना, कुशीनगर ने अपने पत्र संख्या 525/आ०लि०-2009 दिनांक 05.12.2009 में अंकित किया है कि —प्रस्तावित विद्यालय कुशीनगर जिला मुख्यालय पर स्थित है जहां पर इस स्तर का विद्यालय एक भी नहीं है। इस विद्यालय से पूरब तीन किमी दूरी पर ग्राम मिल्की रसूलपुर में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय दमवतिया एवं धर्मपुर खुर्द दक्षिण तरफ क्रमशः 500 मीटर एवं 1.5 किमी पर स्थित है। राजकीय लघु माऊवि० इस विद्यालय से 350 मीटर पर स्थित है। उत्तर तरफ 2 किमी पर स्वामी रामतीर्थ सरस्वती विद्या मन्दिर स्थित है। इस विद्यालय के स्थापित होने से उपरिवर्णित विद्यालयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उक्त सभी विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय को छोड़कर उ०प्र०प्राथमिक शिक्षा परिषद के हैं। सोसाइटी शिवनाथ जन कल्याण शिक्षण संस्थान सरस्वती चौक रविन्द्र नगर के नाम रजिस्ट्रार द्वारा 197/2007-08 पंजीकरण संख्या पर पंजीकृत है। इस विद्यालय में प्रधानाचार्य समेत 13 शिक्षक एवं 1 लिपिक कार्यरत हैं तथा इसके अतिरिक्त 2 चपरासी कार्यरत हैं, जिनका विवरण संलग्न है। कार्यरत अध्यापकों/कर्मचारियों का वेतन नकद किया जाता है। शिवनाथ जनकल्याण शिक्षण संस्थान के पक्ष में ग्राम दमवतिया स्थित गाटा संख्या 63 मि०/0.097 है०, 41/0.085 है०, 42/0.040, 40/0.128, 45/0.186, गाटा सं 36मी०/0.118, 39/0.214 कुल 0.868 है० भूमि का 30 वर्षीय पंजीकृत पट्टा दिनांक 30.11.2009 को निष्पादित है। वर्तमान में विद्यालय भवन किराये के भवन में चल रहा है। इसमें एक बड़े कमरे में 15X20 फिट में प्रयोगशाला चल रहा है, जिसमें शिक्षण हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं।


मण्डलीय समिति ने गीता इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, रविन्द्र नगर, कुशीनगर के प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं उप जिलाधिकारी की जांच आख्या का अध्ययन एवं परीक्षण किया। शासनादेश संख्या: 2762/15-13-91-41461/91 दिनांक 30 नवम्बर, 1991 में निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रारूप के अनुसार सभी अभिलेख प्रस्तुत किये गये हैं। विद्यालय के नाम से मानक के अनुरूप भूमि पंजीकृत पट्टे के आधार पर 30 वर्ष के लिए ली गयी है। भवन तथा अन्य आवश्यक सुविधायें किराये के भवन में उपलब्ध हैं। चूंकि यह विद्यालय कुशीनगर जिला मुख्यालय में संचालित होगा अतः इस विद्यालय की 2 किमी की परिधि में संचालित होने वाले अन्य विद्यालयों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। उपरोक्त के परिपेक्ष्य में मण्डलीय समिति इस विद्यालय को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सहर्ष सहमति प्रदान करती है।

अतः तदनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाय।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

  
जिला विद्यालय निरीक्षक,  
कुशीनगर।

  
संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

  
प्रभारी जिलाधिकारी,  
कुशीनगर।

  
(पी०क० महान्ति) १५/१०  
मण्डलायुक्त।


## कार्यालय आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

संख्या RII - 340-46/सत्ताईस-43 (2008-2009)

दिनांक 15 जनवरी, 2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-


1. शिक्षा निदेशक/अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ।
2. संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा अनुभाग-7, लखनऊ।
3. सचिव, कौसिंल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन, प्रगति हाउस, तृतीय तल, 47-48, नेहरू प्लॉस, नई दिल्ली।
4. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार, नई दिल्ली।
5. जिलाधिकारी, कुशीनगर।
6. संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल, गोरखपुर।
7. जिला विद्यालय निरीक्षक, कुशीनगर।

  
(पी०क० महान्ति) १५/१०  
मण्डलायुक्त।

संख्या ८४७-५४ / सत्ताईस-४३ (2008-2009) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. शिक्षा निदेशक / अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ।
2. सचिव, कौसिंल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टफिकेट इकजामिनेशन, प्रगति हाउस, तृतीय तल, 47-48, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।
3. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार, नई दिल्ली।
4. जिलाधिकारी, कुशीनगर।
5. संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल, गोरखपुर।
6. जिला विद्यालय निरीक्षक, कुशीनगर।
7. प्रबन्धक, गीता इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, रविन्द्र नगर, कुशीनगर।



(पी०के० महान्ति)

मण्डलायुक्त।